

तथा

वाराण्सी निवास

उप सचिव

उ०प्र० शासन।

संघ में

विदेशीक

राज्य वैदिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,

उ०प्र० लखनऊ।

प्रिक्षा अनुसंधान-॥

प्रिप्रय— निम्नी संस्थान श्रीमती इन्दिरा गांधी महाविद्यालय प्लाट नं० ४४८, ४४०, डुमरी, मर्यादपुर, जनपद-मऊ को दौ०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संघ में।

महोदय-

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि निजी संस्थान श्रीमती इन्दिरा गांधी महाविद्यालय प्लाट नं० ४४८, ४४०, डुमरी, मर्यादपुर, जनपद-मऊ को श्रीमती इन्दिरा गांधी महाविद्यालय प्लाट नं० ४४८, ४४०, डुमरी, मर्यादपुर, जनपद-मऊ को दौ०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संघ में।

लखनऊ, दिनांक ७ सितम्बर २०१६

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामुख एवं सुरक्षित कोष के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन नामकों एवं शार्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान तर एन०टी०टी०इ०० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल विडिंग कोड के अनुसार नवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार संदर्भ सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थी द्वेष्टु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-समिक्षा तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होंगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नामक के अनुसार विधिवत चयनित सकाय उदस्थों का अनुमोदन संविध परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। सकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु संविध, परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें संविध, परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य सीक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रशिक्षण संस्थान को राज्य स्तरीय तमिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 से 03.06.2016 के कार्यवृत्त में को गयी संस्तुति के आधार पर दौ०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शक्ति संघ 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०टी०टी०इ०० के विशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या-

(1) / 15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, ०१ बहादुर शाह जफर नार्ग, नई दिल्ली, पिन-११०००२
- 2— क्षेत्रीय निवेदक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी नौजल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० विडिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह नार्ग, जयपुर, साजस्थान, पिन-३०२००६।
- 3— संचिव, परीक्षा नियमक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मऊ।
- 5— संचिव / प्रबन्धक, श्रीमती इन्दिरा गांधी महाविद्यालय प्लाट नं० ४४८, ४४०, डुमरी, मर्यादपुर, जनपद-मऊ।
- 6— गार्ड काइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।